हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थिनी स्वयं उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते राजस्व आवेदन में पक्षकारान का अवयोजन व कुसंयोजन होने से आवेदन पत्र खारिज करने बाबत विपक्षी सं 17 से 35 की ओर से प्रस्तुत किया जिसे रेकर्ड पर लेकर शामिल मिसल हो पत्रावली वास्ते तहसीलदार रामसर से रिपोर्ट का इन्तजार एवं प्रार्थनापत्र का जवाब आदेश दिनांक 03/06/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामसर	तजारा॥ हेमाराम
03/6/26	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं प्रार्थिनी अनुपस्थित। विपक्षीगण 25 व 18 उपस्थित। मय अधिवक्ता उप0। विपक्षीगण वकील प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर बहस सुनी जिसमें प्रार्थिनी द्वारा अपने सहयोगी डायन जो आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी के रूप में समायोजित नहीं किया एवं न ही विपक्षी के रूप में पक्षकार संयोजित किया इस प्रकार आवश्यक हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार के रूप में समायोजित नहीं करने पर उक्त प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अधूरे पक्षकार होने पर खारिज किया जाता जिस पर बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। अतः विपक्षी वकील का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अपूर्ण पक्षकार होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल समाप्त रेकर डफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी	

Scanned with OKEN Scanner